

आदेश, श्रीमती बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

वाद सं०- 107 / 2018

धारा-107 द०प्र०सं०

मौजादिदुल इसलाम बनाम श्री अरबाद वगैरे


आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही एवं दिवसीय तारीख सहित
	<p>अभिलेख सं०-एम. 107 / 20 18, में द०प्र०सं० की धारा-107 के तहत थाना प्रचारी बुण्डू के अपराधिकी सं०- 24/18 दिनांक-12-08-18 के द्वारा प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि मौजा थाना बुण्डू खाला सं० 4 ब्लॉक सं० 2068 रकवा 1. 33 बी० मापे 04 बी० 2069 रकवा 0. 66 बी० मापे 02 बी० 2070 रकवा 0. 33 बी० मापे 01 बी० 2071 रकवा 0. 33 बी० मापे 11 बी० 2536 रकवा 63 बी० मापे 21 बी० 2537 रकवा 69 बी० मापे 21 बी० 2538 रकवा 36 बी० मापे 12 बी० 2539 रकवा 70 बी० मापे 23-33 बी० अर्थात् कीलेका 3 मंथ पलक विवाद जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति शुद्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा अरांतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति शुद्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उन्से प्रत्येक को 1000(एक हजार) रु० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि 05/09/18 को उपस्थापित करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p>	


15/09/18
कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू (राँची)।

15/09/18
कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू (राँची)।

30/1/2019
15/1/2019

अभिलेख अपर्याप्त । प्रथम पत्र
 उपलब्ध दिनांक पर क्रमांक 02,03,04
 उपलब्ध अन्य अधिवक्ता दायरी ।
 उक्त वाद के 6 (छ) माह की अवधि
 पूर्ण हो चुकी है अर्थात् वाद कालबाधित
 हो गया है
 उक्त वाद के अभिलेख की कार्रवाई
 बन्द की जाती है
 लेखापित एवं संशोधित


 कार्यपालक दफ्तरीय
 गुड (रॉय)


 कार्यपालक दफ्तरीय
 गुड (रॉय)